

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 18/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/20) श्रीमती मांगीबाई बनाम श्री मांगीलाल के बजाय भंवरलाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए								
21.09.22	<p>उपस्थिति दौराने बहस:-</p> <table border="0"> <tr> <td>1. श्री चन्द्रप्रकाश आमेटा</td> <td>- वकील अपीलार्थी</td> </tr> <tr> <td>2. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा</td> <td>- वकील प्रत्यर्थी (वकालतपत्र अनुसार)</td> </tr> <tr> <td>3. श्री दिलीप कुमार सुथार</td> <td>- वकील प्रत्यर्थी-युआईटी</td> </tr> <tr> <td>4. श्री मुरलीधर पालीवाल, राज.पेरोकार</td> <td>- वकील प्रत्यर्थी-तहसीलदार बडगावं</td> </tr> </table> <p>प्राधिकृत अधिकारी व सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा पारित आदेश अन्तर्गत धारा-90बी क्रमांक नियमन/नविप्र/11 से 15 दिनांक 23.03.2004 के विरुद्ध अपील अन्तर्गत धारा-90बी भू-राजस्व अधिनियम 1956</p> <p style="text-align: center;">निर्णय</p> <p style="text-align: right;">दिनांक 21.09.2022</p> <p>उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा प्राधिकृत अधिकारी व सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा पारित आदेश अन्तर्गत धारा-90बी क्रमांक नियमन/नविप्र/11 से 15 दिनांक 23.03.2004 के विरुद्ध पेश की गई है।</p> <p>प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-</p> <ul style="list-style-type: none"> राजस्व ग्राम मनवाखेड़ा में खसरा नम्बर 97, 98, 99, 100, 188, 189, 190 कित्ता 7 रकबा हैक्टेयर भूमि स्थित है, जिसका राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-90बी के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने बाबत प्राधिकृत अधिकारी व सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा आदेश क्रमांक नियमन/नविप्र/11 से 15 दिनांक 23.03.2004 से जमाबंदी सम्वत् 2057 से 2050 में वर्णित खातेदार श्री देवा पिता खेमा, जयराम पिता नाथुलाल भील हि.ब. निवासी आयड़ के नाम पारित किया। प्राधिकृत अधिकारी व सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा पारित आदेश अन्तर्गत धारा-90बी दिनांक 23.03.2004 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर सक्षम अपील दिनांक 02.02.2021 को मयाद बाहर प्रस्तुत की। अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र धारा-96 जादी का प्रस्तुत किया गया, जिन पर निर्णय आरक्षित रखते हुए प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेन्ट्स को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 22.08.2022 को सुनी गई। दौराने अपीलीय कार्यवाही अधिवक्ता श्री हनुमान प्रसाद शर्मा द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम, दफा 96 जा.दी एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपटित धारा 151 जादी का पेश किया। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपटित धारा 151 जादी को पेश किया गया। दौराने अपीलीय कार्यवाही, अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा मयाद बाधित प्रार्थना पत्र 	1. श्री चन्द्रप्रकाश आमेटा	- वकील अपीलार्थी	2. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा	- वकील प्रत्यर्थी (वकालतपत्र अनुसार)	3. श्री दिलीप कुमार सुथार	- वकील प्रत्यर्थी-युआईटी	4. श्री मुरलीधर पालीवाल, राज.पेरोकार	- वकील प्रत्यर्थी-तहसीलदार बडगावं	
1. श्री चन्द्रप्रकाश आमेटा	- वकील अपीलार्थी									
2. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा	- वकील प्रत्यर्थी (वकालतपत्र अनुसार)									
3. श्री दिलीप कुमार सुथार	- वकील प्रत्यर्थी-युआईटी									
4. श्री मुरलीधर पालीवाल, राज.पेरोकार	- वकील प्रत्यर्थी-तहसीलदार बडगावं									

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 18/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/20) श्रीमती मांगीबाई बनाम श्री मांगीलाल के बजाय भंवरलाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 एवं 9 सपटित धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत किया।</p> <p>विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी की पैतृक कब्जेशुदा व शामलाती कृषि भूमि राजस्व ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का शोभागपुरा, तहसील बड़गावं में स्थित है जिसके आराजी नम्बर 97से 100, 104 से 111, 183 से 190 कुल कित्ता 20 रकबा 1. 5900 हैक्टेयर है। उक्त भूमि में अपीलान्ट के दादाजी वगता भील व उनके भाईयों धर्मा, लखमन पिता केरिंग का संयुक्त रूप से 3/4वां हिस्सा राजस्व रेकार्ड में जमाबंदी संवत 2042 से 2045 व संवत 2045 से 2048 में दर्ज था। उक्त कृषि भूमि शामलाती होकर अभी तक विधिवत बटवारा नहीं होने से तीनों भाई मौखिक बटवारों के अनुसार अपने अपने हिस्से में आयी कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं, आज भी अपीलान्ट अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रही है। दिनांक 02.01.1997 को अपीलान्ट के दादा वगता पिता केरिंग भील की मृत्यु हो गई। वगता भील के स्वर्गवास से पूर्व ही अपीलार्थी के पिता स्व. श्री भंवरलाल उर्फ भमरू भील व माता का निधन हो चुका था। पारिवारिक सजरे अनुसार वगता भील के कुल चार वारिसान थे (भंवरलाल पुत्र-फौत जिसकी पुत्री मांगीबाई, चुन्नीलाल-पुत्र लाऔलाद फौत, मांगीलाल पुत्र जिसके तीन वारिस श्री भंवरलाल, मीराबाई, एचकी बाई, श्रीमती देवलीबाई बेवा फौत)। चुन्नीलाल के लाऔलाद फौत होने से व अपीलान्ट के माता-पिता की मृत्यु वगता की मृत्यु से पूर्व हो जाने से उक्त कृषि भूमि में से वगता जी के 1/4वें हिस्से का विरासत का नामान्तरकरण मांगीबाई अपीलार्थी, मांगीलाल रेस्पोंडेंट-1 व वगता की विधवा श्रीमती देवलीबाई के नाम खुलना चाहिये था लेकिन तहसीलदार गिर्वा ने सिर्फ मांगीलाल व श्रीमती देवलीबाई के नाम पर ही विरासत का नामान्तरकरण खोला है, विरासत का नामान्तरकरण खुलने के पश्चात श्री मंगीलाल व श्रीमती देवलीबाई ने उक्त कृषि भूमि में से वगता भील के 1/4वें हिस्से को रेस्पोंडेंट संख्या 2 को बेच दिया। रेस्पोंडेंट 2 ने रेस्पोंडेंट संख्या 3, 4, 5 के साथ मिलकर उक्त कृषि भूमि का आपसी सहमति बटवारा कर लिया तथा रेस्पोंडेंट संख्या 2 व 5 ने आपसी सहमति बटवारों से अपने हिस्से आयी उक्त कृषि भूमि में से अपने हिस्से में आयी कृषि जिसके आराजी संख्या 97 से 100, 188 से 190 के सम्पूर्ण हिस्से को आवासीय प्रयोजनार्थ आबादी में भू-रूपान्तरण करवाने हेतु रेस्पोंडेंट संख्या 9 नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के यहां समर्पित कर उक्त भूमि के सम्पूर्ण हिस्से को आबादी में भू-रूपान्तरण करवा दिया जब भू-माफिया के लोग मौके पर आये व अपीलान्ट को उसके कब्जे से जबरन बेदखल करना चाहा व कहा कि यह जमीन हमने खरीद ली है, तब अपीलार्थी द्वारा उक्त कृषि भूमि जमाबंदी, नामान्तरण, 90बी, आदि की नकलें प्राप्त कर अपील मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम के पेश की। हस्तगत प्रकरण में विरासत का नामान्तरकरण जो खोला गया, वह अपीलार्थी के अधिकारों के मुकाबले प्रारम्भ से ही शुन्य है। तत्पश्चात् श्री मंगीलाल व श्रीमती देवलीबाई ने उक्त कृषि भूमि में से वगता भील के 1/4वें हिस्से को रेस्पोंडेंट संख्या 2 को बेच दिया। रेस्पोंडेंट 2 ने रेस्पोंडेंट संख्या 3, 4, 5 के साथ मिलकर उक्त कृषि भूमि का आपसी सहमति</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 18/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/20) श्रीमती मांगीबाई बनाम श्री मांगीलाल के बजाय भंवरलाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>बटवारा कर लिया, जिसका भी नामान्तरकरण खुल गया और धारा-90बी की कार्यवाही उपरान्त भी संबंधितों के नाम नामान्तरकरण पारित हो गया जो अपीलार्थी के अधिकारों के मुकाबले प्रारम्भ से ही शून्य है। उक्त आदेश से अपीलार्थी के हक प्रभावित होते हैं व अपीलार्थी व्यथित पक्षकार होने से अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा-96 जादी संलग्न किया। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपीलार्थीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपील स्वीकार फरमाई जाने का निवेदन किया।</p> <p>विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 2, 4.1. से 4.3, 4.5.3, 3, 6, 7, 8 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम एवं दफा 96 जादी पर जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम का अधिकारग्रहिता द्वारा प्रस्तुत किया गया जो कानूनन मान्य नहीं है। उक्त भूमि जो अपीलार्थी के स्वामित्व व अधिकार की कभी भी नहीं रही और उक्त भूमि का विक्रय काफी वर्षों पूर्व हो चुका था और इन तथ्यों की जानकारी अपीलार्थी को आरम्भ से ही थी और इसके संबंध में अपीलार्थी द्वारा एक वाद सिविल न्यायाधीश दक्षिण उदयपुर में दिनांक 01.04.2009 को लक्ष्मण, गुलाबी बाई, मांगीलाल, मांगीबाई, बसंतीबाई, दुर्गाशंकर, लीलाबाई व डालीबाई की ओर से मेघा एवं नगर विकास प्रन्यास के विरुद्ध प्रस्तुत किया था जिसके प्रकरण संख्या 67/2009 होकर वह मुकदमा दिनांक 19.10.2015 को खारिज किया और इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया उसमें यह स्पष्ट तौर से आधार लिया गया था कि विक्रय पत्र के आधार पर उक्त भूमि की धारा-90बी की कार्यवाही कर प्लॉट काट दिया है, जो कानूनन अवैध है और अपीलार्थी ने जो न्यायालय से दाद चाही थी वह भी इसी आशय की थी कि धारा-90बी की कार्यवाही निरस्त करने एव भूमि रूपान्तरण नहीं करें। इसी प्रकार अपीलार्थी द्वारा अन्य वाद प्रकरण संख्या 68/2009, 69/2009 व 33/2009 में भी सिविल न्यायाधीश शहर दक्षिण उदयपुर व सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड उदयपुर में प्रस्तुत किये, सभी वाद खारिज कर दिये गये। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को धारा-90 बी कार्यवाही की जानकारी नहीं होना, पूर्ण रूप से गलत है। केवल मात्र न्यायालय को गुमराह किया जा रहा है, ऐसे में प्रस्तुत अपील मयाद के बिन्दु पर निरस्तनीय है। इस क्रम में अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है और न ही अपीलार्थी वादग्रस्त भूमि की हितबद्ध व्यक्ति है क्योंकि वह कोई खातेदार काश्तकार नहीं है, न ही उक्त भूमि में उसका किसी प्रकार का कानूनन हक व हिस्सा है, इसलिए प्रस्तुत अपील इस बिन्दु पर भी खारिज योग्य है।</p> <p>विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 2, 4.1. से 4.3, 4.5.3, 3, 6, 7, 8 द्वारा यह भी आपत्ति जाहिर की गई कि पुनर्ग्रहण आदेश दिनांक 23.03.2004 विवादित भूमि के खातेदारों द्वारा समर्पण किये जाने के क्रम में किया गया और खातेदारों द्वारा रूपान्तरण/नियमन हेतु शपथ पत्र, विक्रय ईकरार, आपसी बंटवारा नामा आदि प्रतियां न्यास कार्यालय को प्रस्तुत की थी। प्रावधित है कि खातेदार या उसके द्वारा नामित/अधिकारी व्यक्ति द्वारा ही अपनी खातेदारी आराजीयात को कृषि</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 18/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/20) श्रीमती मांगीबाई बनाम श्री मांगीलाल के बजाय भंवरलाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>कार्य से अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन कराया जा सकता है, परन्तु यदि किसी खातेदारी की भूमि का संपरिवर्तन अनाधिकृत रूप से धारा-90बी(5) के तहत कर लिया जाता है तो उस आदेश के विरुद्ध 90बी(7) के अन्तर्गत केवल व्यथित व्यक्ति ही अपील प्रस्तुत कर सकता है, परन्तु अगर धारा 90बी(3) के तहत खातेदारी अधिकारों को समर्पण को स्वीकार कर संपरिवर्तन कराया जाता है तो उस आदेश के विरुद्ध अन्तर्गत धारा-90बी(7) के तहत अपील लाई नहीं होती है। इस प्रकरण में यह प्रावधान लागू होते हैं, जिससे अपीलाधीन आदेश ही क्षेत्राधिकार विहित होने से प्रस्तुत अपील इसी बिंदु पर भी निरस्तनीय है।</p> <p>विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 2, 4.1. से 4.3, 4.5.3, 3, 6, 7, 8 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जादी को पेश कर निवेदन किया कि अपीलार्थी जो कि अनुसूचित जनजाति की महिला होकर उस पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं साथ ही हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा-2 में स्पष्ट प्रावधान दे रखे हैं कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की पुत्री को उसके पिता की सम्पत्ति में किसी प्रकार का कोई अधिकार कानूनन उत्पन्न नहीं होता है फिर भी अपीलान्ट द्वारा अपील भंवरलाल उर्फ भमरू गमेती की सम्पत्ति में हिस्सा होने बाबत आप न्यायालय में प्रस्तुत जो हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 के तहत पोषणीय नहीं होने से निरस्त होने योग्य है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील उपरोक्त आधार पर निरस्त फरमाई जावें।</p> <p>विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जादी को प्रत्युत्तर पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र मूल वाद में पेश किया जाता है, जिस कारण अपील में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस आधार पर निरस्तनीय है। इस अतिरिक्त अपीलार्थी श्री भंवरलाल की एक मात्र वारिस है। विवादित भूमि अपीलान्ट की पैतृक अविभाजित कृषि भूमि है, जिसमें अपीलार्थी के हक जन्म से ही निहित है। अपीलार्थी व अपीलार्थी के पूर्वज हिन्दु विधि से शासित होते हैं और अपीलार्थी व इनके पूर्वज हिन्दु देवी-देवताओं को अपना अराध्य मानते हैं और उनका विवाह भी हिन्दु रीति से हुआ है। अपीलान्ट के जन्म से मरण तक समस्त सामाजिक कार्यक्रम हिन्दु विधि का अनुगमान करते आये हैं, इसलिए अपीलान्ट अपने पिता भंवरलाल की अपील में वर्णित पैतृक भूमि की एकमात्र विधिक वारिस होने से अपने पिता की उक्त सम्पत्ति की कानूनी उत्तराधिकारी है।</p> <p>विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी- 9 द्वारा अपीलार्थी की बहस का खण्डन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत एवं सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया के अनुपालन के उपरान्त पारित किये जाने का कथन किया और प्रस्तुत अपील को मयाद बाधित बताते हुए मयाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य माना। अधिवक्ता प्रत्यर्थी-9 द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया।</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 18/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/20) श्रीमती मांगीबाई बनाम श्री मांगीलाल के बजाय भंवरलाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी-10 राजकीय पेरोकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत होने का कथन करते हुए अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने का अनुरोध किया।</p> <p>हमने उपस्थित अधिवक्ताओ की मौखिक बहस (विभिन्न प्रार्थना पत्रों, आपत्तियों एवं गुणावगुण), प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 मयाद अधिनियम एवं प्रस्तुत आपत्तियों एवं दस्तावेजों पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकट विभिन्न तथ्यों का गहनता से अध्ययन किया।</p> <p>वकील अपीलार्थी एवं अधिवक्ता प्रत्यर्थी-2, 4.1. से 4.3, 4.5.3, 3, 6, 7, 8 द्वारा दौराने अपीलीय कार्यवाही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपटित धारा-151 सीपीसी मय दस्तावेज पेश किया जिस पर हम सर्वप्रथम विवेचन किया जाना उचित समझते है। अधिवक्ता प्रत्यर्थी-2, 4.1. से 4.3, 4.5.3, 3, 6, 7, 8 ने प्रार्थना पत्र के साथ विभिन्न न्यायालयों एवं राजकीय विभागों से जारी दस्तावेजों/निर्णयों प्रतियां प्रस्तुत किए गए दस्तावेज राजकीय विभाग से जारी की गई प्रमाणित प्रतियां की फोटोप्रतियां है, हस्तगत प्रकरण में निर्णय प्रतिपादित किये जाने में सहायक होंगे, जिससे यह दस्तावेज आदेश 41 नियम 27 (ख) के परिपेक्ष्य में रिकार्ड पर लिया जाना आवश्यक है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार जारी दस्तावेजों की सत्यता पर भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। अतः अधिवक्ता प्रत्यर्थी-2, 4.1. से 4.3, 4.5.3, 3, 6, 7, 8 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश धारा-41 नियम 27 स्वीकार किया जाता है। इसी प्रकार अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ जिला कलक्टर, उदयपुर समक्ष प्रस्तुत अपील दिनांक 11.01.2021 की प्रमाणित प्रति एवं माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) शहर दक्षिण, उदयपुर को संबोधित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 की प्रति प्रस्तुत की। जिला कलक्टर, उदयपुर समक्ष प्रस्तुत अपील दिनांक 11.01.2021 की प्रमाणित प्रति को अभिलेख पर लिया जाता है, परन्तु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 की प्रति, जो हस्ताक्षरित नहीं है और न ही न्यायालय द्वारा जारी की गई, जिससे उसकी विश्वसनीयता सिद्ध नहीं होने से उसे अभिलेख पर नहीं लिया जाता है। अतः अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश धारा-41 नियम 27 आंशिक स्वीकार किया जाता है।</p> <p>दौराने अपीलीय कार्यवाही अधिवक्ता प्रत्यर्थी-2, 4.1. से 4.3, 4.5.3, 3, 6, 7, 8 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपटित धारा-151 सि.प्र. स. प्रस्तुत किया जो अपीलीय कार्यवाही में लाई नहीं होने स्वीकार नहीं की जाती है।</p> <p>दौराने अपीलीय कार्यवाही प्रकरण में अधिवक्ता प्रत्यर्थी-2, 4.1. से 4.3, 4.5.3, 3, 6, 7, 8 द्वारा प्रस्तुत अपील को श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा को नहीं होने की मौखिक आपत्ति प्रस्तुत की। अतः हम राजस्थान भू-राजस्व</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 18/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/20) श्रीमती मांगीबाई बनाम श्री मांगीलाल के बजाय भंवरलाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>अधिनियम-1956 में धारा-90बी में उल्लेखित निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लेख करना उचित समझते हैं-</p> <p>90-B. Termination of rights and resumption of land in certain cases –</p> <p>(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act and the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act No. 3 of 1955 where before the commencement of Rajasthan Laws (Amendment) Act, 1999 (Rajasthan Act No. 21 of 1999) any person, holding any land for agricultural purposes in Urbanisable limits or peripheral belt of an urban area , has used or has allowed to be used such land or part thereof, as the case may be, for non-agricultural purposes or, has parted with possession of such land or part therefore, as the case may be, for consideration by way of sale or agreement to sell and/or by executing power of attorney and/or will or in any other manner for purported non-agricultural use, the rights and interest of such person in the said land or holding or part therefore, as the case may be, shall be liable to be terminated and such land shall be liable to be resumed.</p> <p>(2) Where any land has become liable to be resumed under the provisions of sub-section (1), the Collector or authorized by the State Government in this behalf, shall serve a notice, calling upon such person to show cause why the said land may not be resumed summarily, and among other things, such notice may contain the particulars of the land, cause of proposed action, the place, time and date, where and when the matter shall be heard.</p> <p>(3) When the tenant or the holder of such land or any person duly authorized by him, as the case may be, makes an application to the Collector or the officer authorized by State Government in this behalf, expressing his willingness to surrender his rights in such land, with the intention of developing such land for housing, commercial, institutional, semi commercial, industrial, cinema or petrol pump purposes or, for the purpose of multiplex units, infrastructure projects or tourism projects or, for such other community facilities or public utility purposes or, as may be notified by the State Government, the Collector or the office authorized by the State Government on his behalf, shall upon being satisfied about the willingness of such person, order for termination of rights and interest of such persons in the said land and order for resumption of such land.</p> <p>(4) The proceedings in the manner shall be conducted summarily and shall ordinarily be concluded within a period of 60 days from the first date of hearing specified in the notice served under sub-section (2).</p> <p>(5) Where, after hearing the parties, the Collector or the officer authorized by the State Government in this behalf, is of the opinion that the land is liable to be resumed under sub-section (1), he shall after recording reasons in writing, order for termination of rights and interest of such person in the said land and order for resumption of the said land.</p> <p>(6) The land so resumed under sub-section (3) and (5) shall vested in State free from all encumbrances and shall be deemed to have been placed at the disposal of the concerned local authority under section 102A of this Act with effect from the date of passing such order.</p> <p>Provided that the land surrendered under sub-section (3) above,</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 18/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/20) श्रीमती मांगीबाई बनाम श्री मांगीलाल के बजाय भंवरलाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>shall be made available to the person, who surrenders the land, for its planned development in accordance with the rules, regulation and by-laws applicable to the local body concerned, for housing or commercial institutional, semi-commercial, industrial, cinema or petrol pump purposes or, for the purpose of multiplex units, infrastructure projects or tourism projects or, for other community facilities or public utility purposes.</p> <p>(7) The person, aggrieved by the order made under sub-section (5), may appeal to the Divisional Commissioner or the officer authorized by the State Government in this behalf, within 30 days of passing of order under sub-section (5).</p> <p>उपरोक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90बी एक विशिष्ट धारा है जिसमें यह प्रावधान किया गया कि खातेदार या उसके द्वारा नामित/अधिकारी व्यक्ति द्वारा ही अपनी खातेदारी आराजीयात को कृषि कार्य से अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन कराया जा सकता है, परन्तु यदि किसी खातेदारी की भूमि का संपरिवर्तन अनाधिकृत रूप से धारा-90बी(5) के तहत कर लिया जाता है तो उस आदेश के विरुद्ध 90बी(7) के अन्तर्गत केवल व्यथित व्यक्ति ही अपील प्रस्तुत कर सकता है, परन्तु अगर धारा 90बी(3) के तहत खातेदारी अधिकारों को समर्पण को स्वीकार कर संपरिवर्तन कराया जाता है तो उस आदेश के विरुद्ध अन्तर्गत धारा-90बी(7) के तहत अपील लाई नहीं होती है। यहा दुसरे रूप यह भी कहा जा सकता है कि धारा 90बी के अनुसार अनुसार किसी खातेदार ने अपनी भूमि का प्रयोग बिना संपरिवर्तन आदेश के अकृषि कार्य में कर लिया तो जिला कलक्टर या प्राधिकृत अधिकारी धारा 90बी(1) के तहत कार्यवाही करते हुए धारा 90बी(2) के तहत उस व्यक्ति को नोटिस जारी करेंगे और धारा-90बी(5) के तहत खातेदारी अधिकार रिज्युम हो जायेंगे। अगर धारा 90बी(5) के तहत कोई आदेश या निर्णय पारित किया जाता है तो उसके विरुद्ध अपील धारा 90बी(7) के तहत संभागीय आयुक्त न्यायालय में किया जाना प्रावधित है। लेकिन अगर खातेदार द्वारा स्वयं अपनी भूमि का समर्पण किया जाकर उप धारा (3) के तहत यदि प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तो ऐसे मामलों में की गई कार्यवाही के विरुद्ध कोई अपील संधारण योग्य नहीं है और यह आदेश अंतिम होता है।</p> <p>अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध कार्यालय टिप्पणी में अंकन किया गया है कि “राजस्व ग्राम रधुनाथपुरा के वर्तमान खसरा नं. 97, 98, 99, 100, 188, 189 एवं 190 कुल 7 रकबा 0.7200 है. वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के नाम दर्ज। उक्त आराजीयात के साबिक नगर 412 रकबा 7 बीधा 7 बिस्वा है। उक्त आराजी में पूर्व में (1) श्री वगता पिता केरींग भील (2) लोगर पिता केरींग भील (3) धर्मा पिता केरींग भील (4) लक्ष्मण पिता केरींग भील खातेदारों द्वारा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.07. 1980 को लोगर पिता केरींग भील का 14 हिस्सा जयरामर पिता नाथु भील को विक्रय कर दिया गया। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सी-54 से 56 पर संलग्न पत्रावली है। तत्पश्चात एक अन्य विक्रय पत्र रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.05.</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 18/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/20) श्रीमती मांगीबाई बनाम श्री मांगीलाल के बजाय भंवरलाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>1986 को उक्त आराजी में धरमा पिता केरींग भील द्वारा 1/4 हिस्सा मेगा पिता चेना भील को विक्रय कर दिया गया जो सी-50-53 पर संलग्न है। तत्पश्चात एक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.08.1991 से लक्ष्मण पिता केरींग भील द्वारा 1/4 हिस्सा उदा पिता दोला भील को विक्रय कर दिया जो सी-44-49 पर संलग्न है। इसके पश्चात जमाबंदी संवत् 2053-56 अनुसार वगता पिता केरींग भील 1/4 हि. के बजाय जरिये विरासत मांगीलाल पिता वगता भील, मु.देवली बाई बेवा वगता भील के नाम 1/4 हि.ब. दर्ज हुई। तथा नामा.स.47 दि.2.2.98 द्वारा विक्रय से मांगीलाल पिता वगता भील एवं देवलीबाई बेवा वगता भील के बजाय उक्त आराजीयात देवा पिता खेमा भील 1/4 हि. दर्ज हुआ। इस प्रकार उक्त भूमि वगता पि.केरींग भील, लोगर पि. केरींग भील-धर्मा पिता केरींग भील एवं लक्ष्मण पिता केरींग भील के बजाय जमाबंदी संवत् 2057-2060 अनुसार देवा पिता खेमा 1/4 मेगा पिता चेना 1/4 उदा पिता दोला 1/4 जयराम पिता नाथुलाल 1/4 भील के नाम दर्ज हुई तथा नामा.सं.77 दिनांक 7.1.02 सहमति बंटवाड़े से उक्त आराजीयात देवा पिता खेमा भील एवं जयराम पिता नाथुलाल भील ही.ब. के नाम दर्ज हुई। तत्पश्चात् उक्त आराजीयात का श्री देवा पिता खेमा भील एवं जयराम पिता नाथुलाल भील द्वारा एक समर्पण पत्र दिनांक 23.2.04 को द्वारा उक्त भूमि का नगर विकास प्रन्यास को समर्पण किया। तत्पश्चात् देवा भील पिता खेमा एवं जयराम पिता नाथुलाल भील द्वारा विक्रय इकरार द्वारा उक्त भूमि का विक्रय किया गया एवं पुर्नग्रहण आदेश जारी होने के पश्चात् उक्त आराजीयात में से भु.स.1 से 3 तक श्री हेमन्त छाजेड़ एवं 4-7 तक श्री कन्हैयालाल पिता रामचन्द्र साहू को आवंटन पत्र जारी किए गए।”</p> <p>प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा दिनांक 23.03.2004 को जो पुनर्ग्रहण आदेश धारा 90बी राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत पारित किया गया था वह विवादित भूमि से सम्बन्धित है और उक्त आदेश के तहत खातेदार श्री देवा पिता खेमा, जयराम पिता नाथुलाल भील ने भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु भूमि का राज्यहित में समर्पण किया गया। चूंकि इस प्रकरण में धारा 90बी(3) के तहत खातेदार द्वारा अपनी भूमि राज्यहित में समर्पण की गई, अतः उपरोक्त प्रावधानों की परिपेक्ष्य में प्रथम दृष्टया अपील संधारण होने पर प्रश्नचिन्ह उत्पन्न होता है। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित ऐसे आदेश के विरुद्ध न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मेन्टेनेबल नहीं है। इसी आशय का सिद्धान्त विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित किया गया है, जैसे कि-</p> <p>आर.आर.टी. II 2012 पेज 1139 - श्याम सुन्दर बनाम शीला कोठारी, उदयपुर व अन्य</p> <p>”राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956-धारा 90बी, 90बी(3) व 90बी(7)-अधिकारों का समापन व भू का पुर्नग्रहण-सक्षम अधिकारी ने धारा-90बी(3) के अन्तर्गत आदेश पारित किया - अति. संभागीय आयुक्त के समक्ष</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 18/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/20) श्रीमती मांगीबाई बनाम श्री मांगीलाल के बजाय भंवरलाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>अपील पेश की- पोषणीयता- अति. संभागीय आयुक्त ने आदेश अपास्त किया-अपील पोषणीय नहीं थी - अति. संभागीय आयुक्त द्वारा पारित आदेश बिना अधिकारिता के है और अपील को ग्रहण अथवा न्यायनिर्णित, करने की शक्ति नहीं है-निर्णय अपास्त किया।”</p> <p>उक्त प्रकरण में राजस्व मण्डल द्वारा यह निर्णय किया गया था कि</p> <p>“15. In these revision petition, the prime contention raised by the learned Counsel for the petitioner/petitioners is that parties were issued under section 90B of “the Act” by the UIT on the basis of order passed by the competent authority under sub-section (3) of Section 90B of “the Act” but no appeal is provided if order was passed under section 90B(3) of “the Act” before the Divisional Commissioner under sub-section (7) of section 90B of “the Act”. As per Section 90B of “the Act”, there exist two provisions for termination of rights and resumption of land;</p> <p>(a) firstly in accordance with sub-section (3) of section 90B, and</p> <p>(b) secondly under sub-section (5) of Section 90B</p> <p>Under sub-section (3) of Section 90B of “the Act” the land can be resumed from tenant or the holder of such land or any person duly authorized by him and when it is surrendered before the competent authority, expressing his willingness to surrender his rights in such land with the intention of developing such land for stipulated purposes. Therefore, Competent Authority may resume the said land and can issue patta in his favour because of the fact that under Section 90B(3), agricultural lands were surrendered for resumption by the tenant suo motu by expressing his willingness, while under sub-section (5) of Section 90B of “the Act” land can be resumed by State Government suo-motu; and against only the order passed under Section 90B(5), appeal is maintainable under section 90B(7) of “the Act” and there is no provision for filing any appeal against the order made under section 90B(3) of “the Act”. Hence, the Additional Divisional Commissioner has illegally entertained the appeal against the order so made by the “Authorised Officer” for resumption of the land under Sub-section (3) of the Section 90B of “the Act”.</p> <p>16. Therefore, on the basis of above discussion, it is abundantly clear that the order passed by the learned Additional Divisional Commissioner is entirely without jurisdiction as he has no power to entertain or ad judicate the appeal filed against the order passed under Section 90B(3) of “the Act”.</p> <p>इस आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील पेश की गई। माननीय उच्च न्यायालय की एकलपीठ द्वारा यह अपील दिनांक 07.08.2012 को खारिज कर दी गई, जिसका निर्णय आर.बी.जे. 2012 पृष्ठ 738 पर प्रकाशित है, जिसके अनुसार-</p> <p>आर.बी.जे. 2012 पृष्ठ 738 - श्याम सुन्दर बनाम शीला कोठारी, उदयपुर व अन्य - राजस्थान उच्च न्यायालय</p> <p>“Rajasthan Land Revenue Act, 1956 – Section 90B – Order passed under sub-section (7) is not appealable. But aggrieved person can prefer an appeal before the Divisional Commissioner against the order passed under sub-section (5). A bare perusal of</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 18/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/20) श्रीमती मांगीबाई बनाम श्री मांगीलाल के बजाय भंवरलाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>section (7) of section 90B reveals that only the person aggrieved by an order passed under sub-section (5) of Section 90B may appeal to the Divisional Commissioner or the Officer authorized by the State Government in this behalf within 30 days of passing of the order. The order passed under sub-section (3) of Section 90B is not made appealable. Needless to say that the right to appeal is a statutory right and no person can claim it as a matter of right if not provided under the relevant statute. The parties cannot confer jurisdiction upon the authority to entertain the appeal de hors the provisions of the statute. Thus the order passed by the Additional Divisional Commissioner while ascertaining the appeal illegally is ex facie without jurisdiction and therefore, the same has rightly been set aside by the Board of Revenue – Writ Petition dismissed.”</p> <p>माननीय उच्च न्यायालय की उक्त एकलपीठ के आदेश के विरुद्ध स्पेशल अपील माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में प्रस्तुत हुई जो दिनांक 02.02.2013 को निरस्त कर दी तथा राजस्व मण्डल एव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ के निर्णय को यथावत रखा गया।</p> <p>सभी न्यायिक दृष्टान्तों में यह तय किया गया तथा इन सब में माना गया कि धारा-90बी(3) खातेदारी अधिकारों के सर्म्पण स्वीकार कर अन्तर्गत धारा 90बी का आदेश दिया जाता है, उस आदेश के विरुद्ध अपील संधारण योग्य नहीं होती है। इससे स्पष्ट है कि न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में यहा धारा-90बी(3) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.03.2004 के विरुद्ध अपील संधारण योग्य नहीं है।</p> <p>मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अपीलार्थी ने कथन किये कि रेस्पोंडेंट 2 ने रेस्पोंडेंट संख्या 3, 4, 5 के साथ मिलकर उक्त कृषि भूमि का आपसी सहमति बटवारा कर लिया तथा रेस्पोंडेंट संख्या 2 व 5 ने आपसी सहमति बटवारों से अपने हिस्से आयी उक्त कृषि भूमि में से अपने हिस्से में आयी कृषि जिसके आराजी संख्या 97 से 100, 188 से 190 के सम्पूर्ण हिस्से को आवासीय प्रयोजनार्थ आबादी में भू-रूपान्तरण करवाने हेतु रेस्पोंडेंट संख्या 9 नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के यहां समर्पित कर उक्त भूमि के सम्पूर्ण हिस्से को आबादी में भू-रूपान्तरण करवा दिया जब भू-माफिया के लोग मौके पर आये व अपीलान्ट को उसके कब्जे से जबरन बेदखल करना चाहा व कहा कि यह जमीन हमने खरीद ली है, तब अपीलार्थी द्वारा उक्त कृषि भूमि जमाबंदी, नामान्तरण, 90बी, आदि की नकलें प्राप्त कर अपील मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम के पेश की। विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 2, 4.1. से 4.3, 4.5.3, 3, 6, 7, 8 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम पर जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम का अधिकारग्रहिता द्वारा प्रस्तुत किया गया जो कानूनन मान्य नहीं है। उक्त भूमि जो अपीलार्थी के स्वामित्व व अधिकार की कभी भी नहीं रही और उक्त भूमि का विक्रय काफी वर्षों पूर्व हो चुका था और इन तथ्यों की जानकारी अपीलार्थी को आरम्भ से ही थी और इसके संबंध में अपीलार्थी द्वारा एक वाद सिविल न्यायाधीश दक्षिण उदयपुर में दिनांक 01.</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 18/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/20) श्रीमती मांगीबाई बनाम श्री मांगीलाल के बजाय भंवरलाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>04.2009 को लक्ष्मण, गुलाबी बाई, मांगीलाल, मांगीबाई, बसंतीबाई, दुर्गाशंकर, लीलाबाई व डालीबाई की ओर से मेघा एवं नगर विकास प्रन्यास के विरुद्ध प्रस्तुत किया था जिसके प्रकरण संख्या 67/2009 होकर वह मुकदमा दिनांक 19.10.2015 को खारिज किया और इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया उसके यह स्पष्ट तौर से आधार लिया गया था कि विक्रय पत्र के आधार पर उक्त भूमि की धारा-90बी की कार्यवाही कर प्लॉट काट दिया है, जो कानूनन अवैध है और अपीलार्थी ने जो न्यायालय से दाद चाही थी वह भी इसी आशय की थी कि धारा-90बी की कार्यवाही निरस्त करने एव भूमि रूपान्तरण नहीं करें। इसी प्रकार अपीलार्थी द्वारा अन्य वाद प्रकरण संख्या 68/2009, 69/2009 व 33/2009 में भी सिविल न्यायाधीश शहर दक्षिण उदयपुर व सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड उदयपुर में प्रस्तुत किये, सभी वाद खारिज कर दिये गये। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को धारा-90 बी कार्यवाही की जानकारी नहीं होना, पूर्ण रूप से गलत है। केवल मात्र न्यायालय को गुमराह किया जा रहा है, ऐसे में प्रस्तुत अपील मयाद के बिन्दु पर निरस्तनीय है।</p> <p>इस न्यायालय द्वारा मयाद के बिन्दु पर अधिवक्तागण के कथनों का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 के साथ संलग्न दस्तावेजात के परिपेक्ष्य में अध्ययन किया गया और पाया गया कि वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा होने का अंकन नगर विकास प्रन्यास की पत्रावली पर उपलब्ध कार्यालय टिप्पणी में उपलब्ध है। उसके पश्चात उक्त भूमि को कार्यालय टिप्पणी में अंकित व्यवहार अनुरूप विक्रय की गई और अन्त में खातेदारों द्वारा भूमि समर्पण करने पुर्नग्रहण आदेश जारी किया गया। उक्त विक्रय पत्रों को निरस्ती बाबत अलग अलग वाद सिविल न्यायाधीश शहर दक्षिण एवं सिविल न्यायाधीश (व.ख.) उदयपुर में प्रस्तुत किये जो निम्नानुसार है-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. लक्ष्मण व अन्य बनाम मेघा व अन्य प्रकरण संख्या 67/2009 ई.दी. 2. लक्ष्मण व अन्य बनाम उदा व अन्य प्रकरण संख्या 69/2009 ई.दी. 3. लक्ष्मण व अन्य बनाम जयराम व अन्य प्रकरण संख्या 68/2009 ई.दी. 4. लक्ष्मण व अन्य बनाम देवा व अन्य प्रकरण संख्या 33/2009 ई.दी. <p>उक्त वर्णित वाद जो कि लक्ष्मण तथा हस्तगत प्रकरण की अपीलार्थी श्रीमती मांगीबाई व अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किये। इस वाद की कार्यवाही के दौरान श्रीमती मांगीबाई, मांगीलाल व बसंती बाई द्वारा आपसी राजीनामा इकरार नामा दिनांक 09.08.2010 को हेमन्त छाजेड़ के पक्ष में निष्पादित करने का अंकन है, जिसमें रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 30.07.1980 द्वारा जयराम भील को उक्त भूमि का विक्रय कर कब्जा सिपूद करना स्वीकार किया गया। सिविल न्यायाधीश, दक्षिण उदयपुर में प्रस्तुत वाद विद्रो कर लिया और भविष्य में उक्त सम्पत्ति के संबंध में किसी प्रकार का कोई अपीलान्ट द्वारा नहीं किया जावेगा का अंकन है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा जो वाद सन् 2009 में उक्त न्यायालयों में प्रस्तुत किये, वह सभी वाद खारिज हो चुके हैं।</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 18/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/20) श्रीमती मांगीबाई बनाम श्री मांगीलाल के बजाय भंवरलाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>प्रार्थीगण/अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम में ऐसा कोई ठोस युक्तियुक्त कारण नहीं बताया है, जिसके आधार पर अपील प्रस्तुत नहीं करने के क्या पर्याप्त और औचित्यपूर्ण कारण रहे हैं। विधिक प्रावधानों अनुसार विलम्ब हेतु प्रत्येक दिवस के क्या कारण रहे हैं, स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। न ही अपीलार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। विभिन्न न्यायालयों द्वारा कई मामलों में यह दृष्टांत प्रतिपादित किये हैं कि अपीलार्थी द्वारा अपील दायर करने में हुई देरी बाबत औचित्यपूर्ण, सत्य, विश्वसनीय एवं संतोषजनक कारण प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को संतुष्ट किया जाना आवश्यक होता है, ऐसा नहीं होने की स्थिति में मयाद को कण्डोन नहीं किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा मयाद कण्डोन किये जाने बाबत जो कारण प्रस्तुत किये हैं, वह संतोषप्रद एवं पर्याप्त नहीं हैं। विलम्ब की देरी हेतु प्रत्येक दिन का कारण बताया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में देरी को उपशमन करने का कोई न्याय संगत आधार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खातेदारों द्वारा 90वीं तहत आवेदन करने पर प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा समाचार पत्र में प्रकाशन कराया जाकर आपत्तियां आमंत्रित की गई जिस पर किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने का निर्णय में अंकन है। यह तथ्य प्रकट करता है कि 90वीं की कार्यवाही का अखबार प्रकाशन किया गया जिसकी जानकारी अपीलार्थी को होना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त विभिन्न न्यायालयों में प्रस्तुत वाद भी यह प्रकट करते हैं कि अपीलार्थीयां को अपीलाधीन आदेश की जानकारी थी। निर्णय की सटीक जानकारी हेतु रेकॉर्ड से परे जाकर अभिवचन कथन करना/वर्णित करना कदापि औचित्यपूर्ण नहीं है तथा इस प्रकार से विलम्ब को उपशमन किये जाने के लिए कोई पर्याप्त उचित कारण नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच पाता हूँ कि अपीलार्थी/प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा समक्ष असत्य, मनगढ़त, अविश्वसनीय एवं बनावटी कारण अंकित करते हुए 17 वर्ष से अधिक देरी से प्रस्तुत की गई अपील को अंदर मयाद शुमार कराने हेतु प्रार्थना पत्र असत्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो खारिज किये जाने योग्य है।</p> <p>साथ ही इस क्रम में अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है और न ही अपीलार्थी वादग्रस्त भूमि की हितबद्ध व्यक्ति है क्योंकि वह कोई खातेदार काश्तकार नहीं है, न ही उक्त भूमि में उसका किसी प्रकार का कानूनन हक व हिस्सा है, इसलिए प्रस्तुत अपील इस बिन्दु पर भी खारिज योग्य है और प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 96 जा.दी. का खारिज किया जाता है।</p> <p>दौराने अपीलीय कार्यवाही, अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा मयाद बाधित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 एवं 9 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत किया और श्रीमती जाली बाई के वारिसान को रेकॉर्ड पर लिये जाने का अनुरोध किया। यह न्यायालय पाता है कि हस्तगत अपील में अधिवक्ता अपीलार्थी या</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 18/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/20) श्रीमती मांगीबाई बनाम श्री मांगीलाल के बजाय भंवरलाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>अपीलार्थी श्रीमती जालीबाई के किसी वारिसान द्वारा विधि द्वारा परिसीमीत समय 90 दिवस के भीतर कोई आवेदन नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रश्नगत अपील कायम मुकामी के अभाव में अबेट किये जाने योग्य है व प्रस्तुत अपील त्रुटिपूर्ण है।</p> <p>अधिवक्ता प्रत्यर्था संख्या 2, 4.1. से 4.3, 4.5.3, 3, 6, 7, 8 द्वारा जाहिर प्रारम्भिक आपत्ति पर उभय पक्ष को सुनने के बाद, रेकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद, मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रस्तुत अपील जाहिर आपत्ति के सम्बन्ध में इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण, त्रुटिपूर्ण होने से, मयाद बाहर होने से, अपीलान्त के व्यथीत/हितबद्ध पक्षकार नहीं होने एवं विधिक रूप से पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावें।</p> <p>निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(राजेन्द्र भट्ट) संभागीय आयुक्त, उदयपुर</p>	